न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 06/2018

1. जितेन्द्र सिह पुत्र करनैल सिह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. जसविन्द्र सिह पुत्र करनैल सिह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. रणजीत कौर पुत्री करनैल सिह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

--प्रार्थीगण--

बनाम

1. दलवीर कौर पत्नी अर्जुन सिह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर
2. कुलदीप कौर पत्नी प्रीतपाल सिह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
3. हरप्रीत सिंह पुत्र प्रीतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
4. रोबिन सिंह पुत्र प्रीतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
5. कोमलप्रीत कौर पुत्री प्रीतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
6. सर्वजीत कौर पुत्री अर्जुन सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
7. परमजीत कौर पुत्री अर्जुन सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
8. सतनाम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

1. श्री गुरदेव सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की ओर से।

अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए

--निर्णय-- दिनांक : 29/10/18

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि चक 15एफएफ के जमाबंदी सवंत 2072 ता 75 के खाता सं0 26/27 के मु0 नं0 52,61,62 में है, जो सांझा खाता की भूमि है। जिसमे सभी सहखातेदारों के द्वारा अपने हिस्से के अनुसार सहमति से घरू बंटवारा कर रखा है एवं उसी अनुसार काश्त कर रहे है। अप्रार्थी सं0 1 ता 8 की भूमि चक 15एफएफ की जमाबंदी संवत 2072 ता 75 के खाता सं0 32/36 के मु0 नं0 61 व खाता सं0 73/76 के मु0 नं0 61 में है ,जो सांझा खाता की भूमि है और घरू बंटवारा के अनुसार काश्त कर रहे है। इन खातो के मु0 नं0 61 में आने जाने के लिए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से 20-25 वर्ष से घरू अस्वीकृत रास्ता मौके पर छोड़ा हुआ है, जो मौके पर चालू है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को धमकी दे रहे है कि इस चालू रास्ता को बंद कर देगें। यह रास्ता मु0 नं0 52 के किला नं0 1/2, 10/1, 11/2,20/1,21/2 की पूर्वी डोली के साथ-साथ उतर दिशा में 0.013 है0, रास्ता मौके पर चालू है। जो प्रार्थीगण के हिस्सा व कब्जा की भूमि में से अस्वीकृत रास्ता मौके पर चालू है। मु0 नं0 61 के किला नं0 1,2,3,4,5 की पूर्वी डोली पूर्व से पश्चिम 0.013 है0 रास्ता व मु0 नं0 61 के किला नं0 5 की पूर्वी डोली उतर दक्षिण व किला नं0 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

की पूर्व की डोली उतर से दक्षिण दिशा के साथ साथ प्रत्येक बीघा में 0.013 है0 रास्ता मौके पर चालू है। जिसे पक्षकार अपने अपने हिस्से की भूमि में आ जा कर काश्त कर रहे है। इस

अस्वीकृत रास्ते के अलावा आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण मु0 नं0 61 के किला नं0 1,2,3,4,5 में मौके पर चालू रास्ता को बंद करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी और वह अपनी भूमि को काश्त करने के लिए आ जा नही सकेगें। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के मु0 नं0 52 के किला नं0 1,10,11,20,21 मे से अप्रार्थीगण को उनके मु0 नं0 61 में आने जाने के लिए रास्ता देकर बदले में अप्रार्थीगण की मु0 नं0 61 की कृषि भूमि मे से अपनी मु0 नं0 61 की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की मांग करते है। इस कारण दोनो पक्षों को रास्ता में ली गयी भूमि का मुआवजा की कोई जरूरत नही है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के

क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 15एफ़एफ के मु0 नं0 52 के किला नं0 1/2, 10/1,11/2,20/1,21/2 की पूर्वी डोली के साथ साथ उतर से दक्षिण दिशा में प्रत्येक बीघा में 0.013 है0, मु0 नं0 61 के किला नं0 1 की पूर्वी दिशा जो मु0 नं0 52 के किला नं0 21 के साथ चिपता है, में 8 फुट रास्ता व मु0 नं0 61 के किला नं0 2 ता 5 की उतरी डोली के साथ साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रत्येक बीघा में 0.013 है0 रास्ता व मु0 नं0 61 के किला नं0 5 के पूर्वी डोली के साथ साथ उतर से दक्षिण दिशा में किला नं0 6 तक 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1,2,3,4 की ओर से श्री इन्द्रजीत अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी सं0 5,6,7,8 की तलवी विधिवत रूप से होकर प्राप्त हुए। कोई उपस्थित नही आने पर अप्रार्थी सं0 5,6,7,8 के विरूद एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी सं0 1,2,3,4,5 की ओर से सहमति का दावा पेश किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त की गयी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण जितेन्द्र सिंह आदि अपने रकबे चक 15एफ़एफ के मु0 नं0 61 के किला नं0 6,7,14,15,16,17,24,25 में आने जाने के लिए मु0 नं0 52 के किला नं0 1/2, 10/1,11/2,20/1,21/2 को पूर्वी डोली के साथ साथ उतर से दक्षिण दिशा में 0.013 है0 अस्वीकृत रास्ता जो मौके पर चालू है, में से होकर मु0 नं0 61 के किला नं0 1,2,3,4,5 की उतरी डोली पूर्व से पश्चिम 0.013 है0 रास्ता व मु0 नं0 61 के किला नं0 5 की पूर्वी डोली के साथ उतर दक्षिण दिशा के साथ प्रत्येक बीघा में 0.013 है0 अस्वीकृत रास्ता जो मौके पर चालू है। मु0 नं0 52 के किला नं0 1/2,10/1,11/2,20/1,21/2 रकबा प्रत्येक का 0.013 है0 नहरी कुल 0.065 है0 नहरी रकबा प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज है। जिसे प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है, यह रास्ता मौके पर चालू है। चक 15एफ़एफ के मु0 नं0 61 के किला नं0 1 के पूर्वी दिशा जो मु0 नं0 52 के किला नं0 21 के साथ चिपता है, में 8 फुट रास्ता व मु0 नं0 61 के किला नं0 2 ता 5 की उतरी डोली के साथ साथ पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में प्रत्येक बीघा में 0.013 है0 व किला नं0 5 की पूर्वी डोली के साथ साथ उतर से दक्षिण दिशा में किला नं0 6 तक 0.013 है0 रास्ता प्रार्थीगण स्वीकृत करवाना चाहता है, यह अस्वीकृत रास्ता मौके पर चालू है। मु0 नं0 61 के किला नं0 1 ता 5 की भूमि अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गयी। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं के द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता स्वीकृत करने बाबत निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दोनो पक्ष रास्ता स्वीकृत करवाने पर सहमत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 15एफएफ की जमाबंदी संवत 2072 ता 75 के मु0 नं0 52 के किला नं0 1/2, 10/1, 11/2,20/1,21/2 की पूर्वी डोली के साथ साथ उतर से दक्षिण दिशा में प्रत्येक बीघा में 0.013 है0 कुल 0.065 है0, मु0 न0 61 के किला नं0 1 की पूर्वी दिशा जो मु0 नं0 52 के किला नं0 21 के साथ चिपता है, में 8 फुट रास्ता व मु0 नं0 61 के किला नं0 2 ता 5 की उतरी डोली के साथ साथ पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में प्रत्येक बीघा में 0.013 है0 कुल 0.052 है0 व मु0 नं0 61 के किला नं0 5 की पूर्वी डोली के साथ साथ उतर से दक्षिण दिशा में किला नं0 6 तक 0.013 है0 गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यह रास्ता दोनो पक्ष आपसी सहमति से स्वीकृत करवा रहे है। इसलिए इस रास्ता के बदले कोई राशि या भूमि देय नही होगी।

आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.16. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{श्रीमति रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner